01/6/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त प्र.प. प्रार्थिया आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। रजिस्टर से दर्ज हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/409

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

कृष्णादेवी बनाम फूलाराम आदि

किस्म मुकदमा:–212 आरटीए प्रकरण संख्या:–168/2025

GCMS:- 2025/409

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। सर्वप्रथम वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 की लाईन संख्या 3 में तथा मद संख्या 5 की प्रथम लाईन में टाईप मिस्टेक से पत्थर नं. 178/28 अंकित हो गया है जबकि सही पत्थर नं. 178/29 होना चाहिए। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 की लाईन संख्या 3 में तथा मद संख्या 5 की प्रथम लाईन में पत्थर नं. 178/28 के स्थान पर 178/29 दर्ज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने ऐतराज किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वर्णित पत्थर नं. 178/28 सहवन से अंकित होना स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 की लाईन संख्या 3 में तथा मद संख्या 5 की प्रथम लाईन में पत्थर नं. 178/28 के स्थान पर 178/29 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। लाल स्याही ने अंकित किया जावे। इसके पश्चात् मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 9 एम0सी0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 6/5 के पत्थर नं. 178/30 (27) के किला नं0 3 ता 8, 11 ता 15/1, 18/2 ता 21/1 की कुल 3.414 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के चक 9 एम0सी0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 19/13 के पत्थर नं. 178/29 (14) के किला नं0 1 ता 18, 23 ता 25 की कुल 5.313 हैक्टर अ0क0 भूमि 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया का जैरप्रकरण रकबा पूर्व के विक्रेता पंकज कुमार वगैरा से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 06.07.2022 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी रकबा को खरीद के उपरान्त सुधार किया है। लाखों रूपये लगाकर काबिल काश्त किया है। प्रार्थीया बैयनामा की दिनांक से उक्त रकबा पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थीया ने अपने खातेदारी रकबा के पत्थर नं. 178/30 के किला नं. 19 में ट्यूबवैल लगा रखा है। जो कि सौर उर्जा से संचालित हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 1–2 का रकबा पत्थर नं. 178/29 में स्थित है, जो प्रार्थीया के रकबा से उत्तरी दिशा में स्थित है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की सींव अलग–अलग है। अप्रार्थीगण ने बिना सूचित किये दिनांक 22.05.2025 को सीमाज्ञान करवा लिया। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के नाम के रकबा के किला नं. 25 में लगभग 100 फुट भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा दर्शा दिया है। जबकि उक्त सीमाज्ञान की प्रार्थीया को कोई सूचना नही दी गई। प्रार्थीया का अपने रकबा की सीमा तक ही काबिज है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के रकबा में जबरन काबिज होना चाहते है। मौका पर सभी वर्षो से अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना प्रार्थीगण को बेदखल नही कर सकते है। मात्र सीमाज्ञान की आड़ में प्रार्थीया के खातेदारी रकबा पर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी टी.आई. दिनांक 03.07.2025 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से चक 9 एम0सी0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 19/13 के पत्थर नं. 178/29 (14) के किला नं0 1 ता 18, 23 ता 25 की कुल 5.313 हैक्टर अ0क0 भूमि में से किला नं. 23–24–25 की सींव के चिपते दक्षिणी पासा में प्रार्थीया की इसी चक के पत्थर नं. 178/30 के किला नं. 3 ता 5 खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया और अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की भूमि के मध्य मिट्टी की मेढ़ कर सींव बनाई हुई थी। जिसे प्रार्थीया ने ट्रेक्टर से करावा लगवाकर दिनांक 14.04.2025 को तोड़कर हम अप्रार्थीगण के किला नं. 23,24,25 की कुल 0.391 हैक्टर कमाण्ड भूमि पर जबरन	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2026	कब्जा कर अपनी खातेदारी भूमि में मिलाकर बतौर अतिक्रमी काबिज हो गई। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 176/2025 दिनांक 13.06.2025 को पुलिस थाना राजियासर में करवाई गई। प्रार्थीया को सीमाज्ञान वाले दिन पटवारी हल्का द्वारा मौका पर बार–बार बुलाये जाने के बावजुद ये स्वयं मौका पर नही आई एवं ना ही इनका आदमी मौका पर आया। इसके पश्चात् ग्राम के मौजिज व्यक्तियों और खेत पड़ौसीयों की मौजुदगी में पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया। जिसमें स्पष्ट हो गया कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा किया है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि से अन्य की भूमि पर जबरन काबिज होकर माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है जो गलत है। प्रार्थीया सीमाज्ञान से संतुष्ट नही है तो वह इसके विरूद्ध अपील कर सकती है या पुनः सीमाज्ञान करवा सकती है। प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से नही आई है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया का ना होकर अप्रार्थीगण का उनकी भूमि के संबंध में बनता है। सुविधा व संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया में जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने कथनों के समर्थन में निम्नांकित कानूनी नजीर प्रस्तुत की :– 1. आरआरटी 2010(1) पेज 1001 2. आरबीजे 2009 पेज 714 3. सीजे 2019 (2) सीजे सिविल पेज 1165 4. आरआरटी 2011(2) पेज 1419 5. सीजे 2016 (2) सिविल पेज 962 वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीया के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 9 एमसी की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 6/5 के पत्थर नं. 178/30 मु.न. 27 के किला नं. 3 ता 8, 11 ता 15/1, 18/2 तस 21/1 कुल 3.414 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1–2 के नाम से संयुक्त खाता में इसी चक के खाता संख्या 19/13 के पत्थर नं. 178/29 मु.न. 14 के किला नं. 1 ता 18, 23 ता 25 की कुल 5.313 हैक्टर क0/अ0क0 भूमि बहिस्सा बराबर अंकित है। प्रार्थीया द्वारा उक्त रकबा पंजीकृत बैयनामा से दिनांक 06.07.2022 को खरीद किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1–2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पत्थर नं. 178/29 की 5.313 हैक्टर का सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2025 को करवाया गया। पटवार हल्का लालगढ़ की दैनिक डायरी दिनांक 21.05.2025 में "अप्रार्थी संख्या 1–2 की खातेदारी भूमि के किला नं. 23 में लगभग 75 फुट, किला नं. 24 में लगभग 80 फुट तथा किला नं. 25 में लगभग 100 फुट भूमि पर प्रार्थीया ने काश्त कर रखी है" का अंकन किया हुआ है। इस संबंध में प्रार्थीया का कथन है कि सीमाज्ञान के बारे में उसे जानकारी नही दी गई एवं सीमाज्ञान उसकी अनुपस्थिति में हुआ है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1–2 का कथन है कि प्रार्थीया को पटवारी हल्का द्वारा सूचित किया गया किन्तु बावजुद सूचना प्रार्थीया एवं उसका आदमी उपस्थित नही आया। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीया को सूचना देने के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा अपनी दैनिक डायरी दिनांक 21.05.2025 में कोई अंकन नही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया को सूचित नही किया गया। प्रार्थीया की अनुपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1–2 की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। अप्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से नही आई है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में सीमाज्ञान का विवरण स्पष्ट किया है। उसने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है कि बिना विधिक कार्यवाही के उसे बेदखल नही किया जावे। इसलिये अप्रार्थीगण का यह तथ्य उचित नही है कि प्रार्थीया ने इस	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2026	से कोई बात छिपाकर या गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1—2 चिपते काश्तकार है। सीमाज्ञान दोनों स्वीकार कर रहे है। किन्तु उक्त सीमाज्ञान में प्रार्थीया उपस्थित नही थी। यह भी रिकॉर्ड पर है। इसलिये दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाना करवाया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1—2 की उपस्थिति में दोनों पक्षों (प्रार्थीया व अप्रार्थी संया 1—2) की भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु पटवारी हल्का को पाबंद करें। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी टी.आई. दिनांक 03.07.2025 निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1—2 को आदेश दिया जाता है कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखलदांजी नही करें। तहसीलदार सूरतगढ़ को अलग से पत्र जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जयप्रकाश मीना)आई.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

क्रामंक/राजस्व/168/2025/01.06.2026/ 3542 दिनांकः– 01.06.2026

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः–प्रकरण संख्या 168/2025 अनवान कृष्णादेवी बनाम फूलाराम आदि अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2026 की पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विषयक प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.06.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। अतः आप प्रार्थना पत्र में पक्षकार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1–2 की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दोनों पक्षों की उपस्थिति में करवाने हेतु संबंधित पटवारी हल्का को पाबंद करें तथा ध्यान रहे यदि सीमाज्ञान की सूचना के पश्चात् कोई पक्षकार(खातेदार काश्तकार) सीमाज्ञान के दौरान उपस्थित ना हो तो उसका अंकन दैनिक डायरी में करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.) 01/6